हरिराम बनाम रामेश्वर लाल

03/2020

21/12/22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
प्रार्थी श्रमिक व विपक्ष T.I आवेदन पत्र
स्वीकार्य। चूंकि प्रार्थी आवेदन के अंकित
तथ्यों से देखते हुये अप्रार्थीगण के
अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किये जाने का
निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के
उपस्थित होकर आवेदन का किसी प्रकार
का खण्डन नहीं किया है। अतः उपरोक्त
को मद्दे नजर अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया
जाता है कि विवादित आराजी खा.नं. 266 व
279 वाके राजस्व रेकर्ड विषय
तहसील बोहड़ व जिला सीकर में राजस्व
रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु
पालन किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार रजिस्टर नस्सर के की जावे। पार्टियान
खर्चा। दिनांक सुनाये न्यायालय के सुनाया
गया।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर